

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा</u> प्रकरण संख्या <u>19/2026</u> रे0फो0 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रकांत (1/1)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की
	दिनांक : 05.02.2026 सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त उदयलाल की मृत्यु होने से दिनांक 23.04.2015 को कार्यवाही ड्रॉप की गई। अभियुक्त नारायणलाल की मृत्यु होने से दिनांक 13.03.2019 को कार्यवाही ड्रॉप की गई। अभियुक्त नाथूलाल को दिनांक 13.11.2024 को आरोपित अपराध से उन्मोचित किया गया। अभियुक्त अशोक कुमार को दिनांक 08.10.2024 को मफरूर किया गया। अभियुक्त गिरिराज गुर्जर मय अधिवक्ता श्री भरत गुर्जर उपस्थित। अभियुक्त चन्द्रकांत व शंभुसिंह अनुपस्थित। अधिवक्ता श्री अतुल पालीवाल उपस्थित। अभियुक्तगण की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद सुनवाई आज के लिए पेश किया गया। अभियुक्त कल्याणसिंह अनुपस्थित। अधिवक्ता श्री शंकरसिंह सिसोदिया उपस्थित। अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद सुनवाई आज के लिए पेश किया गया। पत्रावली साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर है। साक्ष्य अभियोजन में कोई गवाह उपस्थित नहीं। प्रकरण इस न्यायालय का टारगेट प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर टारगेट प्रकरण होकर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। साक्ष्य अभियोजन में गवाह उम्मेदीलाल पीडब्ल्यू 18 को जरिये जमानती वारंट 5,000/- रुपये से तलब किया जावे। गवाह को जारी तामील पर प्रकरण पुराना होने व टारगेट	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा</u> प्रकरण संख्या 19/2026 रे0फो0 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रकांत (1/1)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की
	केस होने से आवश्यक रूप से तामील करवाए जाने का लालस्याही से नोट अंकित किया जावें। तामील की एक प्रति एपीओ व एसपी राजसमंद को प्रेषित की जावें। पत्रावली साक्ष्य अभियोजन दिनांक 11.02.2026 को पेश हो।	